

भीष्मकनगर के प्राचीन अवशेष

अरुणाचल प्रदेश



भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण
गुवाहाटी मण्डल

अरुणाचल प्रदेश, जिसे "उगते सूरज की भूमि" के नाम से जाना जाता है, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का घर है, जो इसके विविध पुरातात्विक स्थलों में परिलक्षित होता है। संरचनात्मक अवशेषों, मंदिरों के अवशेष, मूर्तियों, वास्तुकला के अवशेष सहित ये स्थल राज्य के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। ऐसा ही एक उल्लेखनीय स्थल है, भीष्मकनगर के अवशेष, जो लोअर दिबांग घाटी जिले में स्थित है। इस स्थल में चुटिया राजवंश के द्वारा निर्मित संरचनाओं के अवशेष हैं, जिनमें एक आवासीय परिसर और प्रवेश द्वार शामिल हैं।

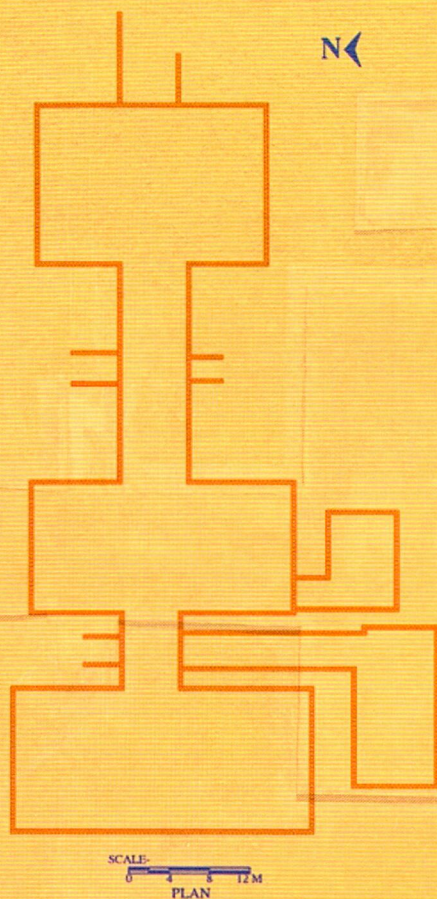
एक अन्य महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प अवशेष मालिनीथन से प्राप्त हुए हैं, जिसमें अमलक, खंडित स्तंभ, द्वार स्तम्भ और कोष्ठक जैसे स्थापत्य के अवशेष शामिल हैं, जो 10^{वीं} -12^{वीं} शताब्दी ईस्वी के हैं। अरुणाचल प्रदेश में नवपाषाण संस्कृति का प्रसार भी अच्छी तरह से प्रलेखित है। सुबनसिरी जिले के पारसी पालों में, नवपाषाण उपकरण स्तरीकृत परतों में पाए गए हैं, जो लगभग 4,000 साल पहले के हैं। मिश्मी हिल्स और सादिया क्षेत्रों में वक्रीय और गोल बट सिरों के साथ इसी तरह की पत्थर की कुल्हाड़ियों की खोज की गई है, जिनमें से कई लंदन में "पिट रिवर्स संग्रहालय" में रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, लोहित जिले के दफाभुम क्षेत्र में एकमुखी और दोमुखी चॉपिंग टूल, क्लीवर और ओवेट्स सहित पुरापाषाण उपकरण पाए गए हैं।



स्थल (भीष्मकनगर) का सामान्य दृश्य

यहां बौद्ध धर्म का प्रभाव मध्ययुगीन काल के उत्तरार्ध में देखा जा सकता है, विशेष रूप से कामेंग जिले के पश्चिमी भाग और तिब्बत और म्यांमार के पास के क्षेत्रों में। इस अवधि में महायान और वज्रयान बौद्ध मठों का उदय हुआ, जिसमें 17 वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित तवांग मठ एक प्रमुख उदाहरण है। ये बौद्ध परंपराएं आज भी इस क्षेत्र में फल-फूल रही हैं।

REMAINS AT BHISMAKNAGAR, BHISMAKNAGAR,
DIST.- DEBANG VALLEY



भीष्मकनगर

(अक्षांश $23^{\circ} 37'$ उत्तर, देशांतर $91^{\circ} 10'$ पूर्व)

अरुणाचल प्रदेश का दर्ज इतिहास 16^{वीं} शताब्दी में शुरू होता है जब अहोम राजाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 1826 तक, अंग्रेजों ने प्रशासनिक रूप से इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया।

मध्ययुगीन काल के दौरान, चुटिया वंश ने भी राज्य के कुछ हिस्सों पर शासन किया। माना जाता है कि तिब्बती-बर्मी जातीय समूह, चुटिया राजवंश के शासकों ने भीष्मकनगर के प्रसिद्ध राजा भीष्मक से अपने वंश का पता लगाया है, जैसा कि भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। राजवंश के संस्थापक बीरपाल ने 1189 ईस्वी में सादिया में राजधानी की स्थापना की। चुटिया साम्राज्य ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट के साथ और सुबनसिरी नदी के पूर्व में फैला हुआ है, जिसमें दिबांग घाटी जिले में पाए गए पुरातात्विक अवशेष हैं।

वर्ष 1910 में इस पुरातात्विक स्थल को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया था। अवशेषों को आम तौर पर चुटिया के शासन से संबन्धित माना जाता है, जो एक तिब्बती-बर्मी जनजाति थी, जिसने 11^{वीं} से 16^{वीं} शताब्दी ईस्वी तक सादिया के क्षेत्र पर शासन किया था। संरचनात्मक अवशेषों में ईंटों से निर्मित संरचनाओं का समूह शामिल हैं, जो एक किलेबंद प्राचीर दीवार से घिरा हुआ है। किलेबंद परिसर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दो प्रभावशाली प्रवेश द्वारों के अवशेषों के साथ यह स्थल चुटिया राजवंश की राजधानी कहा जाता है।



पूर्वी द्वार का अभिलेखीय चित्र

संक्षेप में, अरुणाचल प्रदेश की पुरातात्विक विरासत इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास की एक आकर्षक झलक प्रदान करती है। नवपाषाण काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक, इस क्षेत्र को चुटिया सहित विभिन्न राजवंशों एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों से एक सुंदर स्वरूप प्रदान किया। इन सभ्यताओं के अवशेष राज्य के विविध और समृद्ध इतिहास की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं।



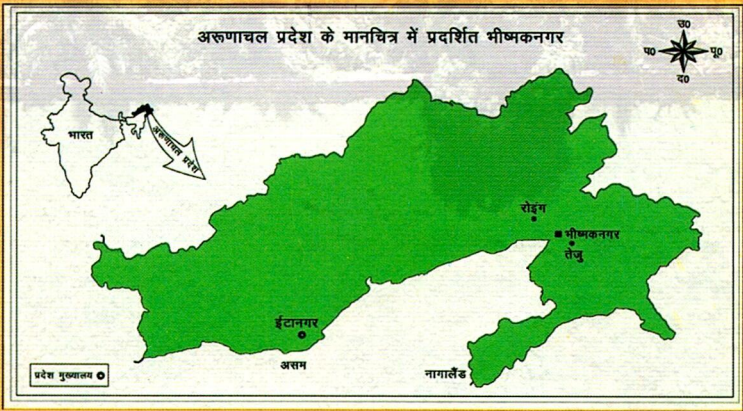
पश्चिमी द्वार का अभिलेखीय चित्र



पश्चिम द्वार संरक्षण के बाद

पहुँच मार्ग

- हवाई मार्ग से: निकटतम हवाई अड्डा तेजू (अरुणाचल प्रदेश) है।
- रेल मार्ग द्वारा: निकटतम रेलवे स्टेशन तिनसुकिया है, जो प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
- सड़क मार्ग से: भीष्मकनगर रोडिंग (30 किमी) और अरुणाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।



जन जागरूकता सूचना

जनता को सूचित किया जाता है कि गुवाहाटी मण्डल, गुवाहाटी के किसी भी केंद्रीय संरक्षित स्मारक के विनियमित एवं निषिद्ध क्षेत्र में इमारतों या संरचनाओं की मरम्मत और नवीनीकरण या निर्माण या पुनर्निर्माण या मरम्मत करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है। सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 द्वारा शासित होते हैं। यह अधिनियम प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (और उसमें बने नियम 1959) में संशोधन है।

कार्यालय का पता

अधीक्षण पुरातत्त्वविद् कार्यालय

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण

गुवाहाटी मण्डल

वेस्ट एंड ब्लॉक, 5^{वीं} मंजिल हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, बेलटोला-वशिष्ठ

रोड, गुवाहाटी, 781006

ई-मेल: circleguwahati.asi@gov.in

circleguwahati.asi@gmail.com



स्मारक के खुलने का समय: सूर्योदय से सूर्यास्त तक

प्रवेश शुल्क: नि: शुल्क

हमारी विरासत हमारा गौरव